



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,लाडपुरा,(कोटा)
ज़िला - कोटा
जाति प्रमाण - पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/जाति का प्रमाण पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.) /19199271086
दिनांक: 27-06-2019

Digitized by srujanika@gmail.com

आवृद्धको का आवृत्ति नम्बर
आवृद्धक/प्रतिवार से महिला

आवटक/पारवार के मुख्या का भामाशाह काढ सख्त्या

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव शंकर मीणा पुत्र/पुत्री श्री कृष्ण चन्द्र मीणा गांव/नगर मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार भवन के थूनी पोल कोटा जिला/डिवीज़न कोटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 9 MINA (9 मीना) जाति/समुदाय का/की है जिसे निप्पलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संघीयां (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर प्रदीप्ति क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (टाटारा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (टाटारा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (पांडुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दम्भ तथा दीब) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दम्भ तथा दीब) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री शिव शंकर मीणा गांव/नगर मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार भवन के यनी पोल कोटा जिला / डिवीज़न कोटा राज्य/संघ राज्य द्वेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नौट

1. यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वही हुआ जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
 2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिवृद्धना संपर्क 21(37) एस जे ई./कम्प्यूटर डी.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
 3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्ट द्वारा उपलब्ध कराये गये ई. दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता।
 4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेजात जिनके सम्बन्धित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होते हैं।
 5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
 6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या - 190208203430

उपखण्ड अधिकारी,लाङपरा,(कोटा)

Signature valid

Digitally signed by
DIVANSHU SHARMA
Date: 2019.06.27 15:10:30
+05:30
Reason: Approved
Location: Raebathan

